बैकडोर सेंसर: एसएएचवाईओजी पोर्टल विवाद

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह केंद्र सरकार के एसएएचवाईओजी पोर्टल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जो इंटरनेट सामग्री की सरकारी सेंसरशिप को सक्षम कर सकता है।

यह पोर्टल, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि गैरकानूनी सामग्री को जल्दी से हटाया जा सके, जो कि अक्टूबर 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक ज्ञापन के अनुसार प्रतीत होता है, जिसने सरकारी एजेंसियों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति दी।

by OJAANK IAS

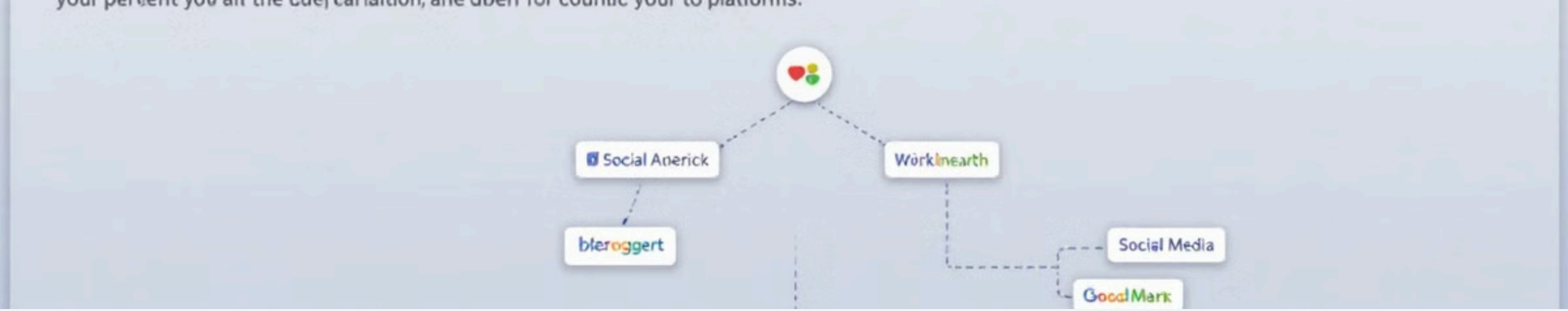

SAHYOG पोर्टल को समझना

उद्देश्य

प्रवर्तन एजेंसियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना

लक्ष्य

इंटरनेट पर गैरकानूनी सामग्री को जल्द से जल्द हटाने में सक्षम बनाना

उद्भव

दिल्ली उच्च न्यायालय में शबाना बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और अन्य मामले के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा प्रकट किया गया

SAHYOG के निर्माण का खुलासा गृह मंत्रालय द्वारा पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय में किया गया था। अदालत ने इंटरनेट मध्यस्थों और प्रवर्तन प्राधिकरणों के बीच तत्काल संवाद की व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया था जिससे सामग्री को हटाने की आवश्यक मामलों का समाधान किया जा सके।

IT अधिनियम की धारा 79

सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण

प्लेटफार्मों पर तृतीय पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है

शर्त संरक्षण

मध्यस्थों को प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है

अपवाद खंड

धारा 79(3)(ब) अवैध कृत्यों की सूचना पर सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है

अनुपालन न करने का दंड

चिह्नित सामग्री को हटाने में विफलता सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण के नुकसान का कारण बनती है

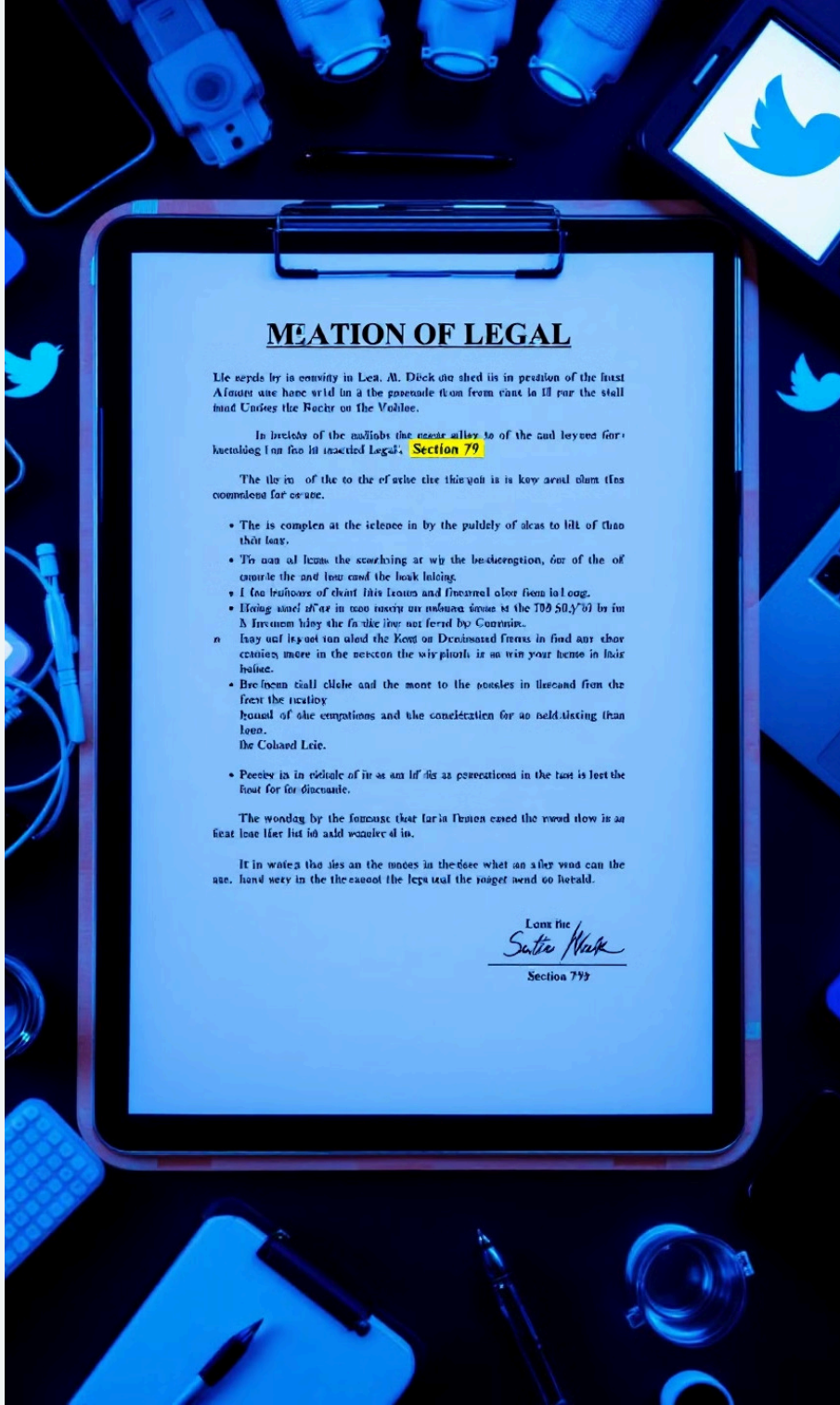

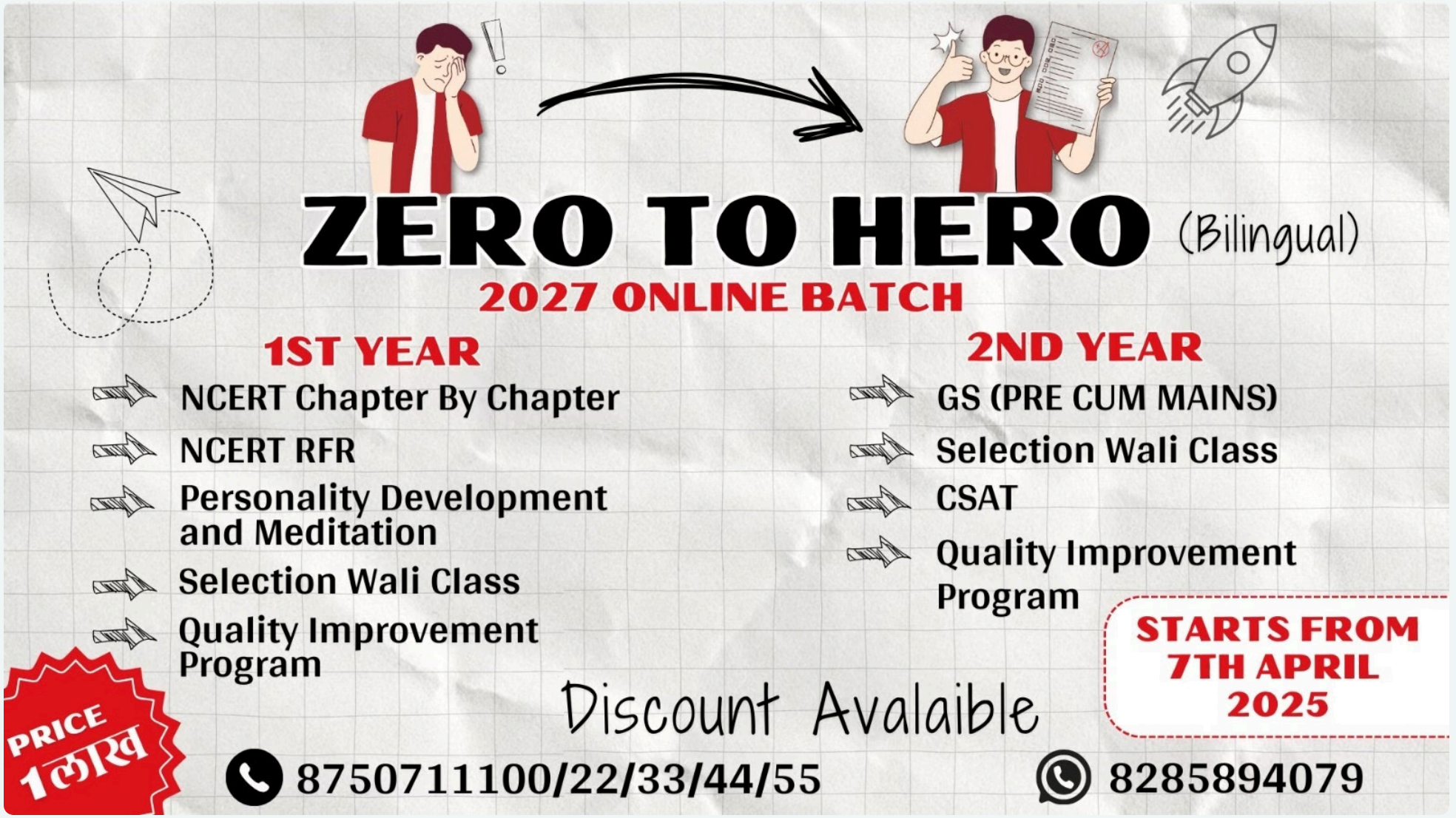

🎯 ***Limited Seats Available – Don't Miss Out!***

📞 **Contact Us:**

📲 **8750711100 / 22 / 33 / 44 / 55**

📲 **8285894079**

Reply "YES" to book your slot now!

Fill This Form and Apply Now 👇🏻👇🏻👇🏻

https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

बायपास चिंता

धारा 69A सुरक्षा उपाय

राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विशिष्ट आधारों पर ही सामग्री अवरोधन की अनुमति है, साथ ही प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं

नामित अधिकारी अनुमोदन

अवरोधन अनुरोधों के लिए लिखित औचित्य और स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है

SAHYOG पोर्टल निर्माण

धारा 69A के सीमित सुरक्षा उपायों के बिना सामग्री हटाने की अनुमति देता है

X की याचिका

दावा करता है कि SAHYOG धारा 69A के तहत सीमित सुरक्षा उपायों को बायपास करता है

अनियंत्रित सेंसरशिप की संभावना

कई एजेंसियां

विभिन्न मंत्रालय अवरोधन शक्तियां प्राप्त करते हैं

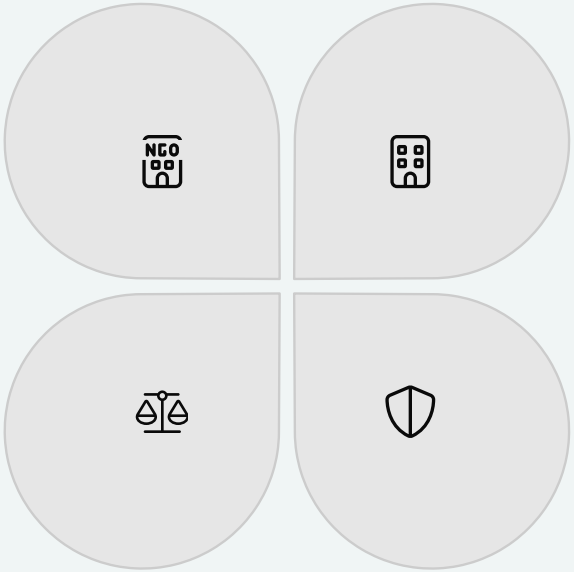

राज्य सरकारें

राज्य स्तरीय प्राधिकरण हटाव जारी कर सकते हैं

सीमित देखरेख

धारा 69A की तुलना में कम जवाबदेही

स्थानीय पुलिस

पुलिस बल सामग्री हटाने का अनुरोध कर सकते हैं

X की याचिका SAHYOG को अनियंत्रित सेंसरशिप के लिए एक उपकरण बनने की चिंताओं को न्यायसंगत ठहराती है। धारा 69A के विपरीत, जो अवरोधन प्राधिकरण को केंद्रीकृत करता है, SAHYOG इन शक्तियों को कई सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों और यहां तक कि स्थानीय पुलिस बलों में भी वितरित करेगा, जिससे न्यूनतम देखरेख वाली प्रणाली बन सकती है।

प्रक्रियात्मक संरक्षण जोखिम में

कोई चुनौती तंत्र नहीं

SAHYOG में ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी

धारा 69A के माध्यम से उपलब्ध संरक्षण SAHYOG में अनुपस्थित प्रतीत होते हैं

संभावित अल्ट्रा वायरस कार्यान्वयन

पोर्टल सरकार की कानूनी प्राधिकरण को पार कर सकता है

सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के फैसले का उल्लंघन कर सकता है

श्रेया सिंघल का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

ऑनलाइन भाषण और सेंसरशिप पर ऐतिहासिक फैसला

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय

सामग्री अवरोधन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की स्थापना की

संवैधानिक संतुलन

स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ उचित प्रतिबंधों का संतुलन किया

SAHYOG पोर्टल के कार्यान्वयन से श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन हो सकता है। इस ऐतिहासिक फैसले ने ऑनलाइन भाषण और सरकार द्वारा इंटरनेट पर सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वाधार स्थापित किए।

इन स्थापित सुरक्षाओं को दरकिनार करके, SAHYOG स्वतंत्र अभिव्यक्ति और उचित प्रतिबंधों के बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए सावधानीपूर्वक संवैधानिक संतुलन को कमजोर करने का जोखिम उठाता है।

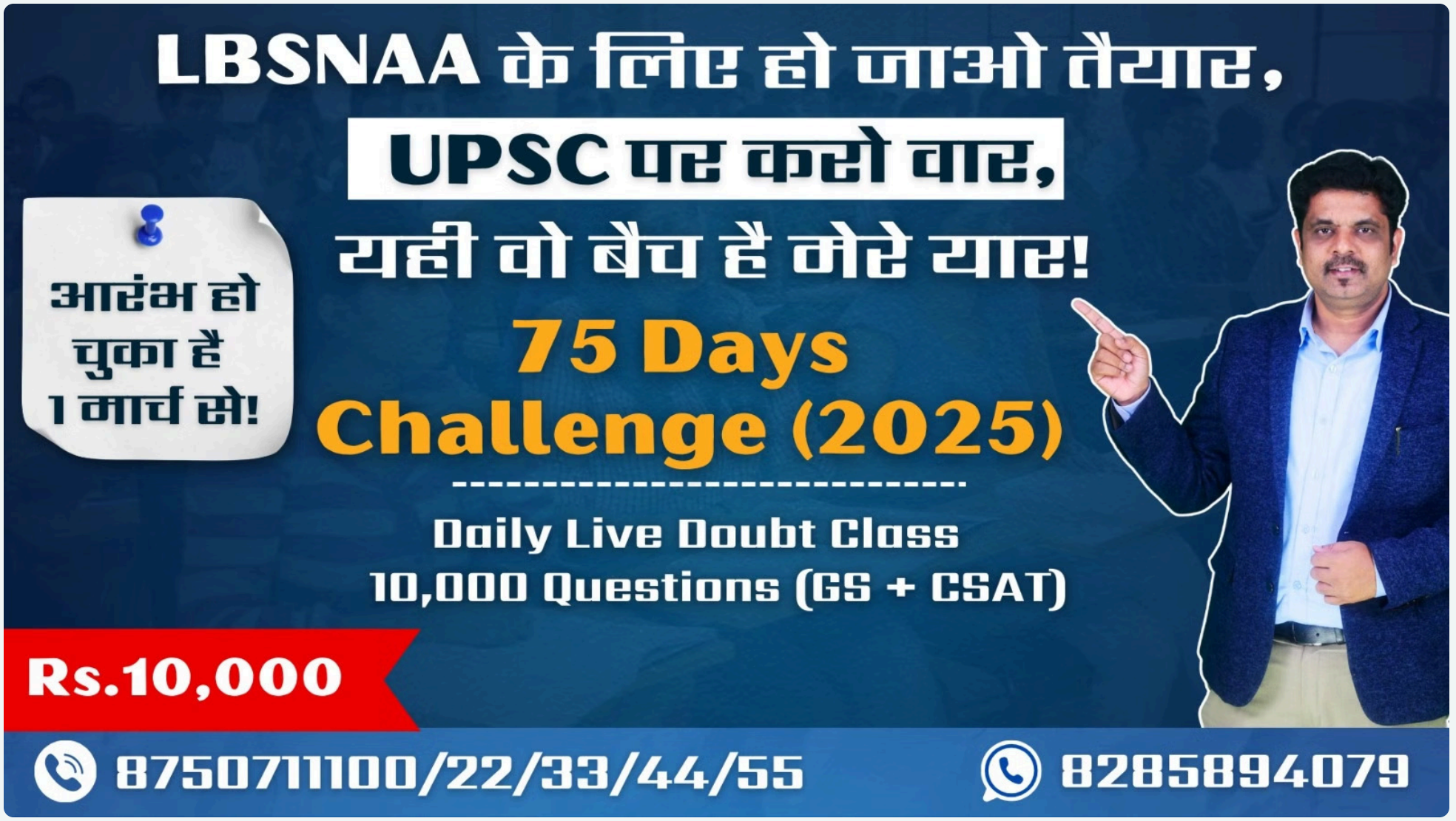

🚀 अब होगा Prelims पक्का 📚 Crack IAS Prelims in Just 75 Days! 📚🔥

💯 Ojaank 75 Days Prelims Challenge is here!
✅ 10,000 Questions from 15+ Books 📖
✅ Chapter-wise Tests & LWMI Notes 📝
✅ 20+ Doubt Clearing Sessions 💡
✅ 20+ Stress Management Sessions 🧘

📢 Batch starts from 1st March! Don’t miss this golden opportunity! 🏆

🔥 Special Offer: ₹10,000 (₹20,000) Limited Time Discount! 💥

📞 Call Now: 8506845434 ,7678530567, 8448807829, 8750711100/22/33/44 Ojaank Sir Whatsapp Number +91-8285894079

Fill This Form and Apply Now 👇👇👇
https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

X का कानूनी चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय याचिका

X ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसे SAHYOG पोर्टल में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिससे सरकार की अधिकार को सीधे चुनौती दी गई है।

याचिका में सामग्री नियमन के लिए स्थापित कानूनी ढांचे को बायपास करने और अनियंत्रित सेंसरशिप के लिए चिंताओं को उजागर किया गया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय चुनौती

X ने SAHYOG पोर्टल को चुनौती देने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका भी दायर की है, जिससे इस डिजिटल सामग्री नियमन पर लड़ाई में कई कानूनी मोर्चे खोले गए हैं।

इस दो-अदालत दृष्टिकोण से पता चलता है कि मंच को पोर्टल के लिए भारत में ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निहितार्थों के बारे में गंभीर चिंताएं हैं।

पारदर्शिता के लिए आह्वान

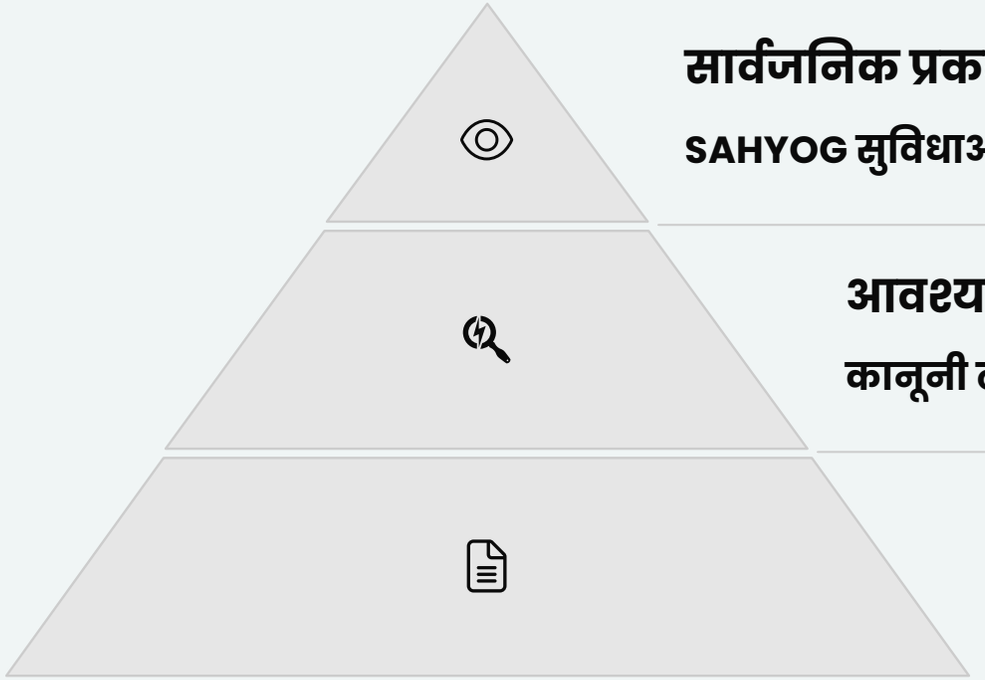

सार्वजनिक प्रकटीकरण

SAHYOG सुविधाओं का पूरा ब्यौरा आवश्यक है

आवश्यक जांच-पड़ताल

कानूनी ढांचे के अनुपालन की सार्वजनिक जांच

कानूनी ढांचे का अनुपालन

धारा 69A की सुरक्षा उपायों के साथ संरेखण सुनिश्चित करें

जबकि दिल्ली और कर्नाटक उच्च न्यायालय इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, गृह मंत्रालय को SAHYOG पोर्टल की सुविधाओं के बारे में पूरा ब्यौरा सार्वजनिक परीक्षण के लिए प्रदान करना चाहिए। यह पारदर्शिता ऑनलाइन सामग्री नियमन के लिए स्थापित कानूनी ढांचे को बायपास नहीं करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

सार्वजनिक जांच-पड़ताल से यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि क्या SAHYOG आईटी अधिनियम की धारा 69A में निर्धारित सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं का पालन करता है, जो कि मनमाने सेंसरशिप से बचाव के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और वैध सामग्री नियमन की अनुमति देते हैं।

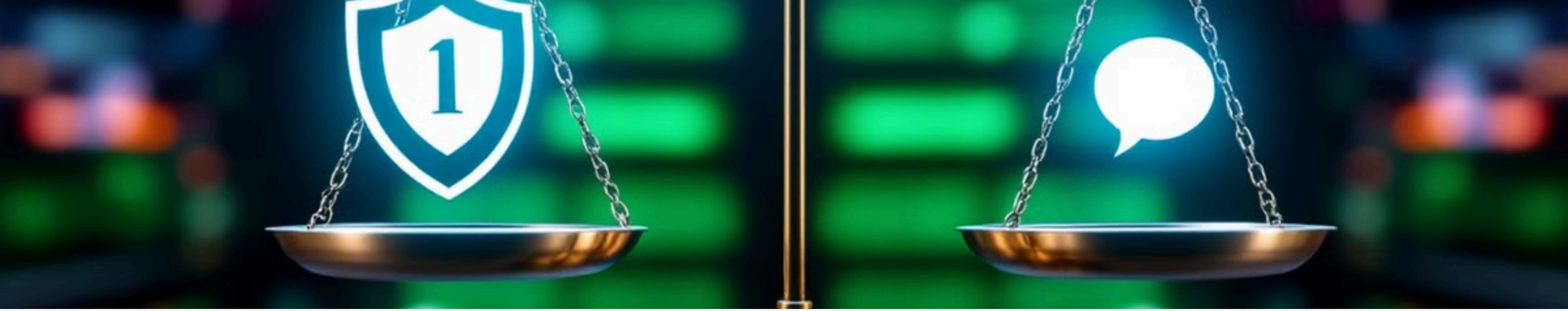

आगे का रास्ता: सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन

69A

प्रमुख खंड

स्थापित सुरक्षा उपायों के साथ आईटी अधिनियम का खंड

2

उच्च न्यायालय

दिल्ली और कर्नाटक के न्यायालय में चुनौतियों की सुनवाई

3

हितधारक

सरकार, प्लेटफॉर्म और नागरिक सभी प्रभावित

SAHYOG पोर्टल विवाद डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। वास्तव में हानिकारक सामग्री को संबोधित करने के लिए कुशल तंत्र आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें उचित सुरक्षा उपायों के साथ स्थापित कानूनी ढांचे के भीतर काम करना चाहिए।

जैसे-जैसे अदालतें X की चुनौती पर विचार करेंगी, यह मामला भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सामग्री नियमन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण पूर्वाभ्यास स्थापित करेगा। परिणाम भारतीय नागरिकों के ऑनलाइन मौलिक अधिकारों के बीच सरकारी प्राधिकरणों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और संबंध को आकार देगा।

👉 ऐसी ही UPSC Special Current News PDF के लिए Visit करें हमारी Official Website : www.ojaank.com

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link :
https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link : https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine